राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01339/2023

डॉ. कविता रेवाड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाए, राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाए, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.04.2023
आदेश की दिनांक : 01.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करावन, ढग जिला झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कांउसलिंग के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु निर्देश जारी किए गए थे अपीलार्थी द्वारा काउंसलिंग में सीकर, चुरू व नागौर जिले में रिक्त स्थानों का उल्लेख करते हुए सहमति पत्र दिया था परंतु प्रत्यर्थी विभाग उक्त पदों अपीलार्थी का पदस्थापन नहीं किया तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ वरियता वाले चिकित्सा अधिकारियों को चुरू व नागौर जिले में पदस्थापन किया अपीलार्थी मेरिट में वरिष्ठ होने के बावजूद अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया है मान्य उच्च न्यायालय ने भी एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11503/2015 में बनवारी लाल बनाम राजस्थान राज्य यह निर्धारण किया है कि कम वरियता वाले को नजदीक पदस्थापन करना तथा उच्च वरीयता वाले दूरस्थ पदस्थापित करना मनमाना व पक्षपाती पूर्ण

है। अपीलार्थी अविवाहित महिला है इसलिए अपीलार्थी को भी अपीलार्थी से कनिष्ठ के समान नागौर, चुरू व सीकर जिले में पदस्थापन किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करावन, ढग जिला झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी को यह निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी आदेश की दिनांक से दो सप्ताह में समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को हम यह निर्देश देना चाहेगें कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)